राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2024–25/अलेसे–II/ 5574 दिनांकः– 12.03.2025

आदेश संख्याः– 254 /2024–25

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2022–23) की सिफारिशों के आधार पर नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र में श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या 2165/2013, लिंक नं.–10712) जन्म तिथी 15.08.1989 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के रिक्त पद (दिनांक 01.04.2022) वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध विभागीय ज्ञापन क्रमांक 696–699 दिनांक 19.07.2021 द्वारा सीसीए नियम–17 में आरोप पत्र जारी होने एवं मुकदमा संख्या 77/2021 दर्ज एवं विभागीय आदेश क्रमांक 04 दिनांक 02.01.2023 के द्वारा निलंबित किये जाने के कारण पदोन्नति नतीजे को बंद लिफाफा किए जाने की अनुशंषा की गई थी। प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नही किये गये।

श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध जारी आरोप पत्र दिनांक 19.07.2021 में विभागीय आदेश क्रमांक 1330–33 दिनांक 04.01.2024 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने पर श्री महावर द्वारा वित्त विभाग में अपील की गई, जिसमें वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.10.2024 के द्वारा उक्त दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया। मुकदमा संख्या 77/2021 में चालान श्री महावर की पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्ति दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् दिनांक 15.11.2022 को पेश किया गया। विभागीय आदेश क्रमांक 617 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा श्री महावर को निलंबन से बहाल किया गया। कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.3 एवं 12.11 के अनुसार श्री महावर की पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्ति दिनांक 01.04.2022 को प्रकरण लंबित नही माने जाने के कारण इनकी पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल–11 में स्थानापन्न रूप से की जाती है। इनकी वरिष्ठता श्री करमजीत कौर एवं दीपक कुमार के मध्य रहेगी।

श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II में क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें।

श्री सुभाष चन्द महावर, को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन वर्ष 2022–23 से इस आदेश दिनांक तक पदोन्नति पद का वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा एवं वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथी से देय होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)/डीपीसी/2024–25/अलेसे–II/ 5574 दिनांकः– 12.03.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..................................
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)